Part – I

A

न्यायालयः सत्र न्यायाधीश, चूरू (राजस्थान) पीठासीन अधिकारी – सोनिका पुरोहित, R.J.S. (DJ Cadre) निर्णय दिनांक –31 जुलाई, 2026 सेशन प्रकरण संख्या – 52/2025 सीएनआर संख्या – RJCH010005412025 (प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या – 204/2024 पुलिस थाना भालेरी चूरू)	
Complainant	राजस्थान राज्य
PRESENTED BY	1. श्री रोशन सिंह राठौड़, योग्य लोक अभियोजक, चूरू 2. श्री वरूण सैनी, योग्य अधिवक्ता – परिवादी पक्ष की ओर से।
ACCUSED	1. रणवीर पुत्र तेजाराम उम्र 26 वर्ष निवासी मालकसर पीएस भानीपुरा जिला चूरू 2. चेतनराम उर्फ कालू पुत्र हंसराज उम्र 24 निवासी मालकसर पीएस भानीपुरा जिला चूरू 3. कैलाश कुमार पुत्र मांगीलाल उम्र 25 वर्ष निवासी रंगाईसर तहसील सरदारशहर पीएस सरदारशहर जिला चूरू
REPRESENTED BY	श्री सुरेन्द्र सिंह शेखावत, योग्य अधिवक्ता – अभियुक्तगण

B

Date of Offence	26.12.2024
Date of FIR	27.12.2024
Date of Chargesheet	23.04.2025 (In Lower Court) After committed received on 22.05.2025
Date of Framing of Charges	27.11.2025
Date of commencement of evidence	15.04.2026
Date on which judgment is reserved	31.07.2026
Date of the Judgement	31.07.2026
Date of the Sentencing Order, if any	–

C: ACCUSED DETAILS

Rank of the Accused	Name of Accused	Date of Arrest	Date of release on bail	Offences charged with	Whether acquitted or convicted	Sentence imposed	Period of detention undergone during trial for purpose of Section 428 Cr.PC
1	रणवीर	27.12.2024	24.03.2025	140(1), 351(3), 307, 115(2), 61(2), 329(3) सपठित 3(5) B.N.S. व धारा 84 JJB Act	दोषमुक्त	–	27.12.2024 से 24.03.2025
2	चेतनराम उर्फ कालू	27.12.2024	18.02.2025	140(1), 351(3), 307, 115(2), 61(2), 329(3) सपठित 3(5) B.N.S. व धारा 84 JJB Act	दोषमुक्त	–	27.12.2024 से 18.02.2025

3	कैलाश कुमार	27.12.2024	11.03.2025	140(1), 351(3), 307, 115(2), 61(2), 329(3) सपठित 3(5) B.N.S. व धारा 84 JJB Act	दोषमुक्त	–	27.12.2024 से 11.03.2025

PART–II

LIST OF PROSECUTION/DEFENCE/COURT WITNESSES

A. Prosecution

Rank	Name	Nature of Evidence (Eye Witness, Police Witness, Expert Witness, Medical Witness, Panch Witness, Other Witness)
पी.डब्ल्यू.–1	सन्तोष कुमार	परिवादी एवं पीड़ित के पिता
पी.डब्ल्यू.–2	रोहिताश कुमार	पीड़ित/अपहृत बालक
पी.डब्ल्यू.–3	शंकरलाल	अभियुक्तों की गिरफ्तारी, फॉर्च्यूनर गाड़ी, झूमर/घण की जब्ती बाबत
पी.डब्ल्यू.–4	सोहनराम	परिवादी का भाई
पी.डब्ल्यू.–5	पाबूदान	फॉर्च्यूनर गाड़ी के स्वामित्व
पी.डब्ल्यू.–6	डॉ. राजीव	चिकित्सा अधिकारी
पी.डब्ल्यू.–7	फरमान खान	द्वितीय अनुसन्धान अधिकारी
पी.डब्ल्यू.–8	जगदीश सिंह	प्रथम अनुसन्धान अधिकारी

B. Defence Witnesses, If any:

Rank	Name	Nature of Evidence (Eye Witness, Police Witness, Expert Witness, Medical Witness, Panch Witness, Other Witness)
–	–	–

C. Court Witnesses, If any:

Rank	Name	Nature of Evidence (Eye Witness, Police Witness, Expert Witness, Medical Witness, Panch Witness, Other Witness)
–	–	–

LIST OF PROSECUTION/DEFENCE/COURT EXHIBITS

A. Prosecution:

Sr. No.	Exhibit Number	Description
1	प्रदर्श पी–1	परिवादी सन्तोष कुमार का प्रार्थना पत्र
2	प्रदर्श पी–2	चाक प्रथम सूचना रिपोर्ट
3	प्रदर्श पी–3	घटना स्थल का नक्शा मौका
4	प्रदर्श पी–3 ए	हालात मौका
5	प्रदर्श पी–4	पीड़ित रोहिताश की फर्द दस्तयाबी एवं सुपुर्दगी
6	प्रदर्श पी–5	अभियुक्त रणवीर की गिरफ्तारी फर्द

7	प्रदर्श पी–6	अभियुक्त चेतनराम उर्फ कालू की गिरफ्तारी फर्द
8	प्रदर्श पी–7	अभियुक्त कैलाश कुमार की गिरफ्तारी फर्द
9	प्रदर्श पी–8	फॉर्च्यूनर गाड़ी संख्या HR–70C–2731 की जब्ती फर्द
10	प्रदर्श पी–9	लोहे के झूमर/घण की जब्ती फर्द
11	प्रदर्श पी–10	अभियुक्तों द्वारा घटना स्थल की तस्दीक फर्द
12	प्रदर्श पी–11	गवाह पाबूदान के पुलिस कथन
13	प्रदर्श पी–14	मेडिकल परीक्षण हेतु पुलिस तहरीर
14	प्रदर्श पी–15	पीड़ित रोहिताश का चोट प्रतिवेदन
15	प्रदर्श पी–16	अभियुक्त रणवीर की इतला धारा 23(2) BNSS
16	प्रदर्श पी–17	अभियुक्त चेतनराम उर्फ कालू की इतला धारा 23(2) BNSS
17	प्रदर्श पी–18	अभियुक्त कैलाश कुमार की इतला धारा 23(2) BNSS
18	प्रदर्श पी–19	वजह सबूत – बांस का डंडा लगा हुआ लोहे का झूमर/घण
19	प्रदर्श पी–19 ए	प्रदर्श पी–19 की कार्बन प्रति

B. Defence:

Sr. No.	Exhibit Number	Description
1	प्रदर्श डी–1	चोट प्रतिवेदन अभियुक्त कैलाश कुमार
2	प्रदर्श डी–2	चोट प्रतिवेदन अभियुक्त रणवीर
3	प्रदर्श डी–3	चोट प्रतिवेदन अभियुक्त कालू उर्फ चेतनराम

C. Court Exhibits:

Sr. No.	Exhibit Number	Description
–	–	–

D. Material Objects:

Sr. No.	Material Object Number	Description
1	आर्टिकल–01	बांस का डंडा लगा हुआ लोहे का झूमर/घण

– निर्णय –

दिनांक –31 जुलाई, 2026

(1) संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि दिनांक 27.12.2024 को परिवादी सन्तोष कुमार पुत्र श्री मागीलाल सारण ने पुलिस थाना भालेरी में उपस्थित होकर एक हस्तलिखित प्रार्थना–पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि दिनांक 26.12.2024 को सायं लगभग 07:15 बजे वह अपने परिवार सहित अपने घर पर मौजूद था। उसी समय उसके घर के बाहर एक वाहन आकर रुका। उक्त वाहन से रणवीर पुत्र तेजाराम बेरड़ निवासी मालकसर एवं कालू उर्फ चेतनराम पुत्र हंसराज निवासी मालकसर उतरे तथा उनके साथ वेदप्रकाश निवासी ढाणी तेतरवाल एवं कैलाश सारण निवासी रंगाईसर भी थे। सभी व्यक्तियों के हाथों में हथियार थे। उक्त सभी व्यक्तियों ने परिवादी के घर में प्रवेश कर उसके पुत्र रोहिताश को जान से मारने की नीयत से उसके समक्ष जबरन पकड़कर वाहन में बैठा लिया तथा उसे अपने साथ ले गए। जाते समय अभियुक्तों ने परिवादी को धमकी दी कि वे उसके पुत्र की हत्या कर देंगे तथा उसे जो करना हो कर ले। इस पर परिवादी ने शोर मचाया, अपने भाई को दूरभाष पर सूचना दी तथा तत्पश्चात पुलिस को भी दूरभाष के माध्यम से घटना की सूचना

दी। परिवादी को उसकी पत्नी ने यह भी बताया कि घटना वाले दिन पूर्व में उसके पुत्र रोहिताश के मोबाइल पर वेदप्रकाश का फोन आया था, जिसने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। परिवादी को आशंका है कि अभियुक्तगण उसके पुत्र के साथ कोई अप्रिय घटना कारित कर सकते हैं। आदि आदि तथ्यों के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 204/2024 जुर्म दफा 140(1) व 351(3) सपठित 3(5) भारतीय न्याय संहिता में दर्ज कर अनुसन्धान कर बाद अनुसन्धान अभियुक्तगण रणवीर, चेतनराम उर्फ कालू व कैलाश कुमार के विरूद्ध धारा 140(1), 351(3), 307, 115(2), 61(2), 329(3) सपठित 3(5) भारतीय न्याय संहिता व धारा 84 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम का अपराध प्रमाणित मानते हुए आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया।

(2) बहस चार्ज सुनी जाकर इस न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण को धारा 140(1), 351(3), 307, 115(2), 61(2), 329(3) सपठित 3(5) भारतीय न्याय संहिता व धारा 84 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम के आरोप अलग से विरचित कर सुनाए व समझाए गए तो अभियुक्तगण ने अपराध से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

(3) अभियोजन पक्ष द्वारा उपरोक्तानुसार गवाह पी.डब्ल्यू. 1 लगायत पी.डब्ल्यू. 8 के बयान लेखबद्ध करवाये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श पी 1 लगायत प्रदर्श पी 19 प्रदर्शित करवाये गये।

(4) अभियुक्तगण को धारा 313 न्याय प्रक्रिया संहिता के तहत परीक्षित किया गया। जिसमें उन्होंने स्वयं को झूठा फँसाया जाना कथन किया। अभियुक्तगण रणवीर व चेतनराम उर्फ कालू ने कहा कि उनके भाई की हत्या के मुकदमें में रोहिताश (पीड़ित) के विरूद्ध विचारण चल रहा है। अशोक की हत्या के मुकदमे में राजीनामा का दबाव बनाने के लिए यह झूठा मुकदमा करवाया गया है। अभियुक्तगण को बचाव में साक्ष्य पेश करने के लिए कहा गया लेकिन उनकी ओर से किसी भी प्रकार की मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गई।

(5) प्रकरण के निर्णय हेतु न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय बिन्दु हैः–

1. **क्या अभियोजन यह सन्देह से परे सिद्ध करने में सफल हुआ है कि अभियुक्तगण ने दिनांक 26.12.2024 को सायं लगभग 07:15 बजे ग्राम कानड़वास में अपने सामान्य आशय के अग्रसरण में परिवादी के नाबालिग पुत्र रोहिताश का उसकी हत्या करने के आशय से उसके घर से फॉर्च्यूनर गाड़ी में डालकर व्यपहरण किया, उसे सरदारशहर से आगे कच्चे रास्ते पर ले जाकर मारपीट की, जान से मारने एवं घण से हाथ–पैर तोड़ने तथा गाड़ी के नीचे कुचल देने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया, उसका मोबाइल छीन/चोरी किया, स्वेच्छया उपहति कारित की, इस कृत्य हेतु आपराधिक षड्यन्त्र में सम्मिलित रहे, परिवादी के आवास में आपराधिक गृह–अतिचार किया तथा नाबालिग बालक के व्यपहरण का अपराध किया ?**

2. **यदि उक्त अपराध सन्देह से परे प्रमाणित होना पाये जो है तो अभियुक्तगण को किस प्रकार के न्याय से दण्डित किया जाना उचित होगा ?**

(6) सर्वप्रथम इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से जिन गवाहान को परीक्षित करवाया गया है, उनकी साक्ष्य का विवेचन किया जाना न्यायोचित है जो निम्न प्रकार से हैंः–

(7) गवाह पी.डब्ल्यू. 1 सन्तोष कुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 26.12.2024 को शाम के करीब 7.15 बजे गवाह अपने घर पर था। उस वक्त उसके घर के आगे एक स्कोर्पियो कार आयी, फिर एक फोच्र्युनर गाड़ी आयी, जिसमें रणवीर निवासी बालकसर, कालूराम निवासी बालकसर, वेदप्रकाश तेतरवाल निवासी ढ़ाणी तेतरवाल एवं कैलाश सहारण निवासी रंगायीसर आये, जिनमें से रणवीर के हाथ में लोहे का बड़ा हथौड़ा था, कालूराम के हाथ में

लोहे का सरिया था तथा वेदप्रकाश व कैलाश के हाथ में लाठी थी। इन सभी ने उसके घर के आगे आकर कहा कि वे रोहिताश को मारेंगे। तत्पश्चात उक्त चारों उसके घर के दरवाजे से प्रवेश कर घर की बाखल में आये तथा गवाह से कहा कि तेरे लड़के रोहिताश को उठाकर ले जायेंगे, तुझे जो करना है कर लेना। इसके बाद कुण्ड के पास मोबाईल पर बात कर रहे उसके लड़के रोहिताश को उठाकर गाड़ी में डालकर सरदारशहर की तरफ ढ़ाणी पांचेरा की तरफ कच्चे रास्ते से ले गये। इसके बाद गवाह ने अपने भाई सोहनराम को फोन किया तब उसका भाई उसके घर पर आया। तत्पश्चात उन्होंने पुलिस थाना भालेरी में फोन किया तब पुलिस ने कहा कि नाकाबंदी करवा रहे हैं। इसके बाद उन्होंने एक प्राईवेट गाड़ी से मुलजिमान की गाड़ी का पीछा किया। वे दो–तीन जगह गये, लेकिन मुलजिमान नहीं मिले। इसके बाद उनके पास पुलिस का फोन आया कि उन्होंने उसके लड़के को अपने कब्जे में ले लिया है तथा मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है, आप थाने आ जावो। इसके बाद वे थाने गये, जहाँ उन्हें रोहिताश मिल गया, जिसे पुलिस ने उन्हें सुपुर्द कर दिया। तत्पश्चात रोहिताश ने उन्हें बताया कि मुलजिमान उसे पहले सरदारशहर में रामग़ढिया अस्पताल के पास से जाने वाले हाईवे पर ले गये। रोहिताश ने यह भी बताया कि मुलजिमान उसके साथ पूरे रास्ते मारपीट करते रहे तथा कहा था कि तेरे मामा प्रेम को बुला, तुम दोनों की हत्या करेंगे। रोहिताश ने यह भी बताया कि बाद में उसे हनुमानगढ़ वाले हाईवे पर मालसर फाटा से पहले एक होटल पर ले गये, जहाँ आगे पुलिस की नाकाबंदी थी और पुलिस ने उनको पकड़ लिया। रोहिताश ने यह भी बताया कि रास्ते में मुलजिमान ने उसे शराब पीलाकर पीटा था। रोहिताश के मामा चुन्नीलाल, संतलाल व प्रेम आदि से मुलजिमान की रंजिश होने के कारण मुलजिमान ने रोहिताश के साथ मारपीट की थी। गवाह द्वारा पुलिस थाना भालेरी में प्रार्थना पत्र प्रदर्श पी–1 दिया गया। चाक एफआईआर प्रदर्श पी–2 है। घटना स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी–3 पुलिस द्वारा बनाया गया। रोहिताश की दस्तयाबी एवं सुपुर्दगी की फर्द प्रदर्श पी–4 है। **जिरह** में इस गवाह ने स्वीकार किया कि उसके पुत्र रोहिताश के विरुद्ध अशोक कुमार की हत्या का एक प्रकरण लंबित है, जिसमें चुन्नीलाल एवं कैलाश भी अभियुक्त हैं तथा मुख्य अभियुक्त चुन्नीलाल था। घटना के समय रोहिताश की आयु लगभग 17 वर्ष 6 माह थी तथा वह पूर्व में पाँच दिन तक सुधार गृह में रह चुका था। गवाह सुधार गृह में उससे मिलने जाता था तथा रोहिताश ने उसे बताया था कि वेदप्रकाश तेतरवाल भी उसके साथ सुधार गृह में था किन्तु वह स्वयं वेदप्रकाश को नहीं जानता था। गवाह ने बताया कि उसे यह जानकारी नहीं है कि घटना से पूर्व रोहिताश एवं वेदप्रकाश के मध्य इंस्टाग्राम पर बातचीत होती थी या नहीं। उसने स्वीकार किया कि घटना वाले दिन वेदप्रकाश द्वारा इंस्टाग्राम पर दी गई धमकी की जानकारी उसे रोहिताश ने नहीं, बल्कि उसकी पत्नी को दी थी। उसने यह भी स्वीकार किया कि अभियुक्त चेतनराम उर्फ कालू वाहन चला रहा था तथा अभियुक्त कैलाश को वह घटना से पूर्व नहीं जानता था और उसके साथ उसकी अथवा उसके परिवार की कोई पूर्व रंजिश नहीं थी। गवाह ने स्वीकार किया कि प्रार्थना–पत्र में पुलिस ने केवल अभियुक्तों के हाथों में हथियार होना लिखा था, प्रत्येक अभियुक्त के हाथ में कौन–सा हथियार था, इसका उल्लेख नहीं किया। उसने यह भी स्वीकार किया कि घर पर रोहिताश के साथ सरिये, हथौड़े अथवा लाठियों से मारपीट नहीं हुई थी, बल्कि अभियुक्त उसे जान से मारने की धमकी दे रहे थे। गवाह ने स्वीकार किया कि प्रदर्श पी–1 प्रार्थना–पत्र उसने रोहिताश की सुपुर्दगी से पूर्व ही पुलिस थाना में प्रस्तुत कर दिया था तथा पुलिस को बयान देने से पूर्व उसकी रोहिताश से घटना के सम्बन्ध में बातचीत हो चुकी थी। उसने यह भी स्वीकार किया कि नक्शा मौका बनाते समय उसने पुलिस को पैरों के निशान बताए थे किन्तु बाद में वर्षा हो गई थी तथा घटना के समय वर्षा नहीं हो रही थी। गवाह ने पहले कहा कि रोहिताश को उठाकर ले जाते समय उन्होंने शोर नहीं मचाया किन्तु बाद में कहा कि उन्होंने शोर मचाया था। उसने इस सुझाव का खण्डन किया कि रोहिताश अपनी इच्छा से वेदप्रकाश के साथ गया था अथवा शराब पीने गया था तथा इस सुझाव का भी खण्डन किया कि उसके शरीर पर कोई चोट नहीं थी।

गवाह के अनुसार रोहिताश के सिर, गले एवं चेहरे पर चोटें थी, चेहरे पर सूजन थी तथा वह भयभीत अवस्था में था।

(8) गवाह पी.डब्ल्यू. 2 रोहिताश ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 26.12.2024 को शाम करीब 7.15 पीएम की बात है। गवाह अपने घर की बाखल में था। उस समय उसके घर के आगे एक सफेद रंग की फोच्र्युनर गाड़ी आकर रूकी, जिसमें रणवीर, कालू, वेदप्रकाश एवं कैलाश थे, जो उतरकर उसके घर में आये, जिनमें रणवीर के हाथ में बड़ा हथोड़ा था तथा अन्य तीन के हाथ में लाठियां थी। उक्त चारों ने आते ही गवाह के हाथ–पैर पकड़ लिये और उसे गाड़ी में डाल लिया। उस समय उसके मम्मी–पापा घर पर थे, जिन्होंने घटना देखी थी। तत्पश्चात उसे ढ़ाणी पांचेरा से होते हुए बुकलसर ले गये और वहाँ से सरदारशहर ले गये, जहाँ रामग़ढिया अस्पताल के पास एक होटल से उन्होंने शराब की दो बोतलें ली तथा वहाँ से एक कच्चे रास्ते पर ले जाकर उसके साथ मारपीट की और उसकी आखिरी इच्छा पूछी तब उसने उन्हें कहा कि उसके पापा से बात करवा दो। फिर मुलजिमान ने उससे कहा कि वे उसे छोड़ देंगे, यदि वह अपने मामा प्रेम को बुला दे। इसके बाद मुलजिमान ने उसे उसके मामा प्रेम से बात करने के लिए फोन दिया। इतने में उस फोन पर कोई फोन आ गया, फिर उन्होंने उस फोन पर काफी देर बात की और उसके बाद उसके साथ मारपीट करने लग गये। तत्पश्चात रणवीर ने उससे कहा कि जिस जगह उसके भाई को मारा था, उसी जगह ले जाकर उसे मारेंगे। इसके बाद मुलजिमान उसे मालकसर फाटा के पास ले जा रहे थे तब वहाँ एक प्लांट के पास रास्ते पर पुलिस आ गई। पुलिस आते ही उन्होंने गाड़ी को भगाया, जो एक खेत में जाकर तार–पट्टियों से टकरा गई, जिससे वेदप्रकाश उतरकर भाग गया तथा शेष सभी को पुलिस भालेरी थाने ले आयी। मारपीट से गवाह के दोनों आंखों के ऊपर, सिर एवं गर्दन पर चोटें आयी थी। उसके अपहरण एवं मारपीट का कारण उसके मामाओं से उसका प्रेम होना तथा मुलजिमान की उसके मामाओं से रंजिश होना था एवं मुलजिमान उसके द्वारा उसके मामा प्रेम को बुलाकर उसे मारना चाहते थे। पुलिस द्वारा गवाह की फर्द दस्तयाबी एवं सुपुर्दगी प्रदर्श पी–4 बनाई गई। उसकी चोटों का मेडिकल मुआयना करवाया गया। घटना स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी–3 पुलिस द्वारा बनाया गया। हाजिर अदालत में गवाह ने मुलजिमान को पहचानना बताया। **जिरह** में इस गवाह ने कहा है कि अभियुक्त कैलाश को वह नहीं जानता था तथा उसके साथ उसकी कोई रंजिश नहीं थी। उसने स्वीकार किया कि उसे गाड़ी में बैठाने से पूर्व अभियुक्तों ने उसके साथ मारपीट नहीं की थी तथा जब वह अभियुक्तों के साथ गया तब किसी व्यक्ति ने उसे रोकने अथवा रोकने का प्रयास नहीं किया। उसने बताया कि उनके घर के आसपास आबादी है तथा वे ढाणी पांचेरा के बीच से होकर लगभग 2–3 मिनट में वहाँ पहुँचे थे। गवाह ने प्रारम्भ में कहा कि उसके साथ हथियारों से मारपीट हुई थी या नहीं, यह उसे ज्ञात नहीं, बाद में स्पष्ट किया कि अभियुक्तों ने उसके साथ थप्पड़ एवं मुक्कों से मारपीट की थी। उसने स्वीकार किया कि शराब की बोतलें एक होटल से वेदप्रकाश लेकर आया था किन्तु होटल का नाम उसे ज्ञात नहीं है तथा होटल के बाहर कोई व्यक्ति नहीं बैठा था। उसने स्वीकार किया कि होटल पर उसने भागने का प्रयास नहीं किया, बाद में स्पष्ट किया कि अभियुक्तों ने उसे भागने नहीं दिया। उसने बताया कि उसने शराब नहीं पी थी। गवाह ने स्वीकार किया कि उसने अभियुक्तों की गाड़ी रुकते तथा अभियुक्तों को गाड़ी से उतरते देखा था, जिनमें पहले रणवीर एवं कालू उतरे थे तथा शेष अभियुक्त बाद में उतरे थे। उसने बताया कि अभियुक्त उसे उठाकर गाड़ी तक ले गए थे, न कि घसीटकर, तथा छुड़ाने का प्रयास करने पर उसके कपड़े फटे थे या नहीं अथवा उस समय चोट लगी थी या नहीं, यह उसे स्मरण नहीं है। उसने स्वीकार किया कि घर से ले जाते समय अभियुक्तों ने हथियार साथ रखे थे किन्तु उससे हथियारों से कोई चोट नहीं पहुँचाई थी। गवाह ने बताया कि रणवीर ने उससे कहा था कि यदि वह अपने मामा को बुला ले तो उसे छोड़ देंगे। उसने स्वीकार किया कि उसके साथ लगभग 10–15 मिनट तक मारपीट हुई, जो थप्पड़ एवं मुक्कों से हुई थी तथा उसने अभियुक्तों द्वारा हथियारों से मारपीट होते नहीं देखी। उसने यह भी स्वीकार किया कि उक्त मारपीट से उसके पूरे शरीर पर चोटें

नहीं आई थी किन्तु उसके शरीर से खून निकला था, कपड़ों पर खून लगा था तथा उसने वे कपड़े पुलिस एवं चिकित्सक को दिखाए थे। गवाह ने इस सुझाव का खण्डन किया कि दुर्घटना के समय वाहन वेदप्रकाश चला रहा था तथा स्पष्ट किया कि वाहन कालूराम चला रहा था।

(9) गवाह पी.डब्ल्यू. 3 शंकरलाल ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 27.12.2024 को गवाह पुलिस थाना भालेरी में कांस्टेबल के पद पर पदस्थापित था। उस दिन मुकदमा संख्या 204/2024 में अनुसन्धान अधिकारी श्री जगदीश सिंह द्वारा मुलजिम रणवीर को जरिए फर्द प्रदर्श पी–5, मुलजिम चेतनराम उर्फ कालू को जरिए फर्द प्रदर्श पी–6 तथा मुलजिम कैलाश कुमार को जरिए फर्द प्रदर्श पी–7 थाना परिसर भालेरी से गिरफ्तार किया गया। फर्द जब्ती फोच्र्युनर गाड़ी संख्या एचआर 70 सी 2731 मुलजिमान रणवीर, चेतनराम एवं कैलाश प्रदर्श पी–8 है। फर्द जब्ती एक झूमर/घण मुलजिमान रणवीर, चेतनराम एवं कैलाश प्रदर्श पी–9 है। फर्द तस्दीक घटना स्थल मुलजिमान रणवीर, चेतनराम एवं कैलाश प्रदर्श पी–10 है।

(10) गवाह पी.डब्ल्यू. 4 सोहनराम ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 26.12.2024 को वक्त शाम के करीब 07.15 बजे की बात है। गवाह अपने घर पर था। उस वक्त उसके भाई सन्तोष ने उसे फोन किया कि उसके लड़के रोहताश का कालूराम, कैलाश, वेदप्रकाश व एक अन्य व्यक्ति, जिसका नाम गवाह को आज ध्यान नहीं है, द्वारा अपहरण कर फोच्र्युनर गाड़ी में डालकर ढ़ाणी पांचेरा की तरफ ले जाया गया। तत्पश्चात गवाह, सलेमु तथा उसका पुत्र अब्बास खां ढ़ाणी पांचेरा गये, जहाँ वे शीशराम, जो कालू का फुंफा है, के घर गये तथा पूछा कि क्या कालूराम आदि, जिन्होंने रोहिताश का अपहरण किया है, उनके घर आये हैं तब उन्होंने साफ मना कर दिया। इसके बाद उन्होंने कुछ देर इधर–उधर तलाश किया तब गवाह के भाई सन्तोष का उसके पास फोन आया कि पुलिस ने उन लोगों को पकड़ लिया है तथा घर पर आ जाओ। इसके बाद गवाह घर आया तथा फिर घर से पुलिस थाना भालेरी गया। पुलिस थाना भालेरी में रोहिताश को भानीपुरा थाने वाले लेकर आ गये थे तथा बाद में करीब 02.50 पीएम पर रोहिताश को उन्हें सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस द्वारा घटना स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी–3 बनाया गया। फर्द दस्तयाबी एवं सुपुर्दगी रोहिताश प्रदर्श पी–4 है। **जिरह** में इस गवाह ने स्वीकार किया कि घटना उसके सामने नहीं हुई थी तथा उसने घटना के समय अभियुक्तों को नहीं देखा था। उसने यह भी कहा कि वह अभियुक्तों को नहीं जानता था किन्तु बाद में स्पष्ट किया कि वह अभियुक्त कैलाश सारण को जानता था। गवाह ने बताया कि वह परिवादी सन्तोष का सगा भाई है। उसने इस सुझाव का खण्डन किया कि परिवादी सन्तोष ने उसे घटना के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं दी थी।

(11) पी.डब्ल्यू.–5 पाबूदान ने मुख्य परीक्षा में कहा कि फॉर्च्यूनर गाड़ी संख्या एचआर–70–सी–2731 का वह पंजीकृत स्वामी था तथा उसका भाई प्रेम उक्त गाड़ी को मालकसर लेकर गया था, जहाँ से वेदप्रकाश गाड़ी लेकर गया। यह गवाह अभियोजन के प्रति प्रतिकूल **(पक्षद्रोही)** हो जाने पर विद्वान लोक अभियोजक द्वारा प्रतिपरीक्षित किया गया। जिरह में गवाह ने स्वीकार किया कि प्रदर्श पी–12 शपथ–पत्र तथा प्रदर्श पी–13 सुपुर्दगीनामे पर अंकित हस्ताक्षर उसके हैं किन्तु उसने पुलिस द्वारा उसके बयान लिये जाने से इन्कार किया तथा प्रदर्श पी–11 के कथनों का समर्थन नहीं किया। उसने इस सुझाव का भी खण्डन किया कि दिनांक 26.12.2024 को उसके भाई प्रेम ने फॉर्च्यूनर गाड़ी रणवीर के पास छोड़ दी थी अथवा घटना के दिन उक्त गाड़ी रणवीर के कब्जे में थी। **अभियुक्तगण की ओर से हुई जिरह** में गवाह ने बताया कि उसके भाई प्रेम ने उसे बताया था कि वेदप्रकाश के साथ 15–16 वर्ष का एक लड़का था, जिसका नाम उसे ज्ञात नहीं है।

(12) गवाह पी.डब्ल्यू. 6 डॉ० राजीव ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 27.12.2024 को गवाह चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, भालेरी में पदस्थापित था। उस दिन एसएचओ पुलिस थाना भालेरी द्वारा पीड़ित बालक रोहिताश कुमार के शरीर पर आयी चोटों के

मेडिकल मुआयना बाबत तहरीर प्रदर्श पी–14 गवाह को दी गई। पीड़ित बालक रोहिताश कुमार पुत्र सन्तोष कुमार, उम्र 17 वर्ष 5 माह, निवासी कानड़वास के शरीर पर आयी चोटों का मेडिकल मुआयना गवाह द्वारा रात्रि 2.00 बजे किया गया। पीड़ित के शरीर पर निम्न चोटें पाई गई (1) सिर के निचले भाग पर दर्द जाहिर कर रहा था, (2) खरोंच 1 गुणा 0.5 सेमी, गर्दन पर दांयी तरफ, (3) खरोंच 1 गुणा 0.5 सेमी, मस्तिष्क पर दांयी तरफ। उक्त चोटें साधारण प्रकृति की एवं कुन्द हथियार से कारित थी। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–15 है। **जिरह** में इस गवाह ने स्वीकार किया कि प्रदर्श पी–15 में अंकित चोट संख्या–1 मजरूब द्वारा बताए अनुसार लिखी गई है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि चोट संख्या–2 एवं 3 के स्वकारित (स्वयं लगने) होने की सम्भावना से पूर्णतः इन्कार नहीं किया जा सकता तथा स्पष्ट किया कि ऐसी सम्भावना हो भी सकती है और नहीं भी। गवाह ने यह भी स्वीकार किया कि प्रदर्श पी–15 में अंकित चोट संख्या–2 एवं 3 किसी हथियार से कारित नहीं थी। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि उसी दिन अभियुक्त कैलाश कुमार, रणवीर एवं कालू उर्फ चेतनराम का भी चिकित्सीय परीक्षण उनके द्वारा किया गया था, जिनके चोट प्रतिवेदन क्रमशः प्रदर्श डी–1, डी–2 एवं डी–3 हैं तथा उन पर अंकित हस्ताक्षर उनके ही हैं। गवाह ने यह भी बताया कि अभियुक्त कालू उर्फ चेतनराम के चोट प्रतिवेदन प्रदर्श डी–3 में वर्णित चोटों के सम्बन्ध में एक्स–रे की राय दी गई थी।

(13) गवाह पी.डब्ल्यू. 7 फरमान खान ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 16.01.2025 को गवाह एसएचओ के पद पर पुलिस थाना भालेरी में पदस्थापित था। मुकदमा नम्बर 204/2024 की पत्रावली चार्ज में प्राप्त होने पर दौराने अनुसन्धान गवाह द्वारा गवाह पाबूदान के बयान प्रदर्श पी–11 गवाह के कथनानुसार लेखबद्ध किये गये तथा किशोर वेदप्रकाश उर्फ सुखा को निरुद्ध किया गया। तत्पश्चात प्रकरण में अनुसन्धान पूर्ण होने पर गवाह द्वारा आरोपीगण रणवीर, चेतनराम उर्फ कालू, कैलाश कुमार तथा वेदप्रकाश के विरुद्ध जुर्म धारा 140(1), 351(3), 307, 115(2), 3(5) बीएनएस एवं 84 जेजे एक्ट में चालान न्यायालय में पेश किया गया।

(14) गवाह पी.डब्ल्यू. 8 जगदीश सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 26.12.2024 को गवाह एसएचओ पुलिस थाना भालेरी के पद पर पदस्थापित था। उस दिन समय करीब 08.00–08.15 पीएम पर सूचना मिली कि कानड़वास का नाबालिग बालक रोहिताश कुमार का एक सफेद रंग की फोच्र्युनर गाड़ी में चार युवकों द्वारा उसके घर से अपहरण कर ढ़ाणी पांचेरा की तरफ भागे हैं। इस सूचना पर गवाह तथा कांस्टेबल भींवाराम व कृष्ण कुमार अपने निजी वाहन से सूचना पर रवाना हुए। रवाना होने से पूर्व मिली सूचना की गम्भीरता को देखते हुए उच्चाधिकारियों को सूचना से अवगत करवाया तथा कन्ट्रोल रूम में अपहृत बालक की दस्तयाबी हेतु नाकाबंदी करवाई एवं रवाना बरूट सूचना हुए। साथ ही अपहरणकर्ताओं के मोबाइल नम्बर प्राप्त होने पर उन मोबाइल नम्बरों की लोकेशन ज्ञात करने हेतु साइबर सेल, जिला मुख्यालय को निवेदन किया। कुछ समय बाद अर्जेन्ट लोकेशन मिलने पर थानाधिकारी भानीपुरा को उनके क्षेत्र में सन्दिग्ध नम्बरों की लोकेशन मिलने बाबत सूचित किया तथा रवानाशुदा गाँव कानड़वास पहुँचे, जहाँ सन्तोष कुमार, जो बालक रोहिताश की तलाश हेतु गया हुआ था, घर पर नहीं मिला। अन्य सूचना मिलने पर बरूट ढ़ाणी पांचेरा कच्चे रास्ते से होते हुए मालकसर कच्चा फांटा पहुँचे, जहाँ थानाधिकारी भानीपुरा मय जाब्ता सामने से आये। एक सफेद रंग की फोच्र्युनर गाड़ी, जिसे पुलिस पार्टी को देखकर उसका चालक भगाने लगा, खेत की सींव में लगे तार–पट्टियों से टकराकर रुक गई। फोच्र्युनर गाड़ी के अन्दर कुल चार व्यक्ति बैठे मिले तथा कंडेक्टर साइड में बैठा एक युवक फाटक खोलकर खेतों की तरफ अंधेरे में भाग गया। गाड़ी में बैठे व्यक्तियों से नाम–पता पूछने पर चालक सीट पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम चेतन बताया तथा अन्य व्यक्तियों ने अपने नाम रणवीर, कैलाश एवं रणवीर व कैलाश के बीच बैठे युवक ने अपना नाम रोहिताश बताया। बीच में बैठा रोहिताश उस समय घबराया हुआ था। उसे तसल्ली देकर वाकयात पूछा गया तब उसने बताया कि वह कानड़वास निवासी सन्तोष कुमार

का पुत्र है तथा साथ बैठे लोगों ने उसका गाँव से अपहरण किया है और उसकी हत्या करना चाहते थे। रोहिताश ने अपनी आयु साढ़े सत्रह वर्ष बताई। इसके बाद उसे अपहरणकर्ताओं के वाहन से उतारकर सुरक्षित संरक्षण में लिया गया तथा फोच्र्युनर गाड़ी एवं उसमें बैठे व्यक्तियों की सरसरी तलाशी लेकर धारा 105 बीएनएसएस की पालना करते हुए वीडियोग्राफी की गई। गाड़ी में बैठे युवकों के शरीर पर चोटें पाई गई तथा उक्त वाहन को डिटेन कर सीएचसी भालेरी पहुँचकर घायलों का मेडिकल मुआयना करवाया गया। मेडिकल मुआयना हेतु दी गई तहरीर प्रदर्श पी–14 है। आहत रोहिताश का मेडिकल मुआयना प्रदर्श पी–15 है तथा अभियुक्तगण का भी मेडिकल मुआयना करवाकर पत्रावली में शामिल किया गया। गवाह के थाना पहुँचने से पूर्व एफआईआर प्रदर्श पी–2 चाक हो चुकी थी। प्रकरण संख्या 204/2024 का अनुसन्धान प्रारम्भ कर फर्द दस्तयाबी एवं सुपुर्दगी बालक रोहिताश कुमार प्रदर्श पी–4 तैयार की गई। फर्द गिरफ्तारी मुलजिम रणवीर प्रदर्श पी–5, मुलजिम कालू उर्फ चेतन प्रदर्श पी–6 तथा मुलजिम कैलाश कुमार प्रदर्श पी–7 है। फर्द जब्ती फोच्र्युनर गाड़ी नम्बर एचआर 70 सी 2731 मुलजिमान रणवीर, चेतनराम एवं कैलाश प्रदर्श पी–8 है। फर्द जब्ती एक झूमर/घण अज्ञात मुलजिम मुलजिमान रणवीर, चेतनराम एवं कैलाश प्रदर्श पी–9 है, जिस पर नमूना सील अंकित है। दौराने अनुसन्धान घटना स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी–3 बनाया गया। हालात मौका प्रदर्श पी–3 ए है। फर्द इतला धारा 23(2) बीएनएसएस मुलजिम रणवीर प्रदर्श पी–16, मुलजिम चेतनराम उर्फ कालू प्रदर्श पी–17 तथा मुलजिम कैलाश कुमार प्रदर्श पी–18 है, जिनकी इतला अनुसार यह बताया गया कि जिस स्थान से बालक का अपहरण किया, वह स्थान साथ चलकर बता सकते हैं। फर्द तस्दीक घटना स्थल मुलजिमान रणवीर, चेतनराम एवं कैलाश प्रदर्श पी–10 है। दौराने अनुसन्धान गवाह द्वारा गवाहान सन्तोष कुमार, रोहिताश कुमार, सोहनराम एवं सन्तोष देवी के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध किये गये। बाद अनुसन्धान मुलजिमान चेतनराम उर्फ कालू, रणवीर एवं कैलाश कुमार के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 140(1), 351(3), 307, 115(2), 3(5) बीएनएस एवं धारा 84 जेजे एक्ट का प्रमाणित पाया गया। प्रकरण का वजह सबूत एक पैकेट सीलशुदा हालत में न्यायालय में पेश हुआ, जो बाद अनुमति खोला गया। चिट दस्तख्ती वजह सबूत बांस का डंडा लगा हुआ लोहे का एक झूमर/घण बतौर वजह सबूत मुलजिमान चेतनराम, कैलाश एवं रणवीर प्रदर्श पी–19 है, जिस पर नमूना सील अंकित है। इसकी कार्बन प्रति प्रदर्श पी–19 ए है। वजह सबूत बांस का डंडा लगा हुआ लोहे का झूमर/घण आर्टिकल–01 है। **जिरह** में इस गवाह ने स्वीकार किया कि दिनांक 26.12.2024 को रात्रि लगभग 8:00–8:15 बजे अपहरण की सूचना परिवादी सन्तोष कुमार द्वारा दूरभाष पर दी गई थी, जिसका रोजनामचा में इन्द्राज किया गया था। उन्होंने स्वीकार किया कि प्रारम्भिक सूचना में परिवादी ने अभियुक्तों के नाम अथवा वाहन का नम्बर नहीं बताया था, केवल यह बताया था कि उसके पुत्र का सफेद रंग की फॉर्च्यूनर गाड़ी में अपहरण किया गया है। गवाह ने बताया कि रोहिताश की माता ने भी उस समय अभियुक्तों के नाम नहीं बताए थे। उन्होंने स्वीकार किया कि सन्दिग्ध मोबाइल नम्बर की लोकेशन साइबर शाखा से प्राप्त हुई थी किन्तु उक्त लोकेशन पत्रावली पर पेश नहीं की गई तथा हेड कांस्टेबल भागीरथ के बयान भी दर्ज नहीं किए गए। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि एसएचओ भानीपुरा एवं उनके साथ के पुलिसकर्मियों के बयान अनुसन्धान के दौरान लेखबद्ध नहीं किए गए तथा धारा 105 बीएनएसएस के अन्तर्गत कराई गई वीडियोग्राफी की कोई सीडी अथवा पेन ड्राइव भी पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं की गई। गवाह ने स्वीकार किया कि फॉर्च्यूनर गाड़ी के अन्दर से उस समय कोई लाठी या सरिया बरामद नहीं हुआ था तथा चिकित्सक ने किसी भी व्यक्ति के गम्भीर चोटें होना नहीं बताया था। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि पीड़ित रोहिताश के मेडिकल परीक्षण से पूर्व उसके पर्चा बयान दर्ज नहीं किए गए थे। गवाह ने बताया कि रणवीर, कैलाश एवं चेतनराम को मौके पर डिटेन कर मेडिकल परीक्षण के पश्चात थाना लाया गया तथा गिरफ्तारी तक वे थाना परिसर में पुलिस निगरानी में रहे। उन्होंने स्वीकार किया कि फॉर्च्यूनर गाड़ी के स्वामी अथवा रणवीर के कथित परिचित से कोई पूछताछ नहीं

की गई और उसके बयान भी दर्ज नहीं किए गए। गवाह ने स्वीकार किया कि उसके अनुसन्धान में यह तथ्य आया कि रोहिताश ने अभियुक्तों को देखकर भागने का प्रयास नहीं किया था, बल्कि वह उस समय मोबाइल पर बात कर रहा था। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि कथित वजह सबूत आर्टिकल–01 (झूमर/घण) रात में गाड़ी की तलाशी के समय गाड़ी में ही मिला था, जिसे तत्काल सील नहीं किया गया तथा लगभग 20 घंटे तक थाना परिसर में खड़ी गाड़ी से बाद में जब्त कर थाना में मुकदमा दर्ज होने के पश्चात सील किया गया। उन्होंने स्वीकार किया कि अनुसन्धान में यह तथ्य नहीं आया कि उक्त झूमर/घण से रोहिताश को कोई चोट पहुँचाई गई थी। गवाह ने यह भी स्वीकार किया कि प्रदर्श पी–19 पर किसी स्वतन्त्र गवाह के हस्ताक्षर नहीं हैं, आर्टिकल–01 को सील करने से पूर्व परिवादी पक्ष थाना में उपस्थित था तथा प्रदर्श पी –19 में परिवादी पक्ष को स्वतन्त्र मोतबीर नहीं बनाया गया। साथ ही उन्होंने स्वीकार किया कि उनके अनुसन्धान में यह तथ्य भी सामने आया था कि पीड़ित एवं उसके रिश्तेदारों के विरुद्ध पूर्व में थाना भानीपुरा में हत्या का एक प्रकरण दर्ज था।

<u>विचारणीय प्रश्न संख्या – एक</u>

(15) विचारण बिन्दु संख्या एक के सम्बन्ध में बहस अन्तिम सुनी गई। विद्वान विशेष लोक अभियोजक एवं परिवादी के विद्वान अधिवक्ता की ओर यह बहस की गई कि उसके बेटे रोहिताश को अभियुक्तगण घर से ले गए, वे पूर्व नियोजित साजिश करके सोच–समझकर आए थे और उन्होंने परिवादी के पुत्र का सामूहिक रूप से अपहरण किया है। उनका यह कहना था कि या तो हम उसके पुत्र को मारेंगें या परिवादी के दूसरे लोगों को बुलाकर मारेंगें परन्तु पुलिस द्वारा परिवादी के पुत्र को दस्तयाब कर लिया गया है। उनकी यह भी बहस रही है कि प्रकरण में सभी गवाहान ने बयानों में घटना की पूरी ताईद की है। गवाहान के बयानों में इस प्रकार के विरोधाभास नहीं है कि उनसे बयानों पर सन्देह उत्पन्न होता है। गवाहान की जिरह में भी ऐसा कोई कथन नहीं आया है कि जिससे अभियोजन कहानी झूठी साबित होती है। पीड़ित के बयानों की जिरह में भी यह नहीं पूछा गया कि इस प्रकार की घटना हुई ही नहीं है। चक्षुदर्शी गवाह एवं अभियोजन के अन्य गवाहान द्वारा अभियोजन कहानी की ताईद करने, अभियुक्तगण के इस अपराध में लिप्त होने, चिकित्सकीय साक्ष्य के पत्रावली पर प्रस्तुत होने और अभियुक्त के चोटों की ताईद होने तथा रिश्तेदारों के बयानों को नजरअन्दाज नहीं किए जाने की बहस करते हुए परिवादी के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा अभियुक्तगण को हस्तगत प्रकरण में उनके विरूद्ध आरोपित अपराध सन्देह से परे साबित होना मानते हुए उन्हें दोषसिद्ध किए जाने का निवेदन किया गया है। परिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किए हैंः–

1. 2002(1) R.Cr.D. 144 (SC) Munshi Prasad & Ors. v/s State of Bihara
2. 2025(1) Crimes 197 (SC) P. Dineshan and Ors. v/s State of Kerla
3. 2012(3) Crimes 97 (SC) Shyamal Ghosh v/s State of West Bengal
4. 2010(Suppl.) Cr.L.R. (SC) 482 State of Uttar Pradesh v/s Krishna Master & Ors.
5. 2010(4) Crimes 86 (SC) Abdul Sayeed v/s State of Madhya Pradesh

(16) इसके विपरीत बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने अभियुक्तगण के निर्दोष होने की बहस करते हुए अभियोजन गवाहान के बयानों में आए <u>विरोधाभासी कथनों</u> के आधार पर अभियोजन कहानी सन्देहास्पद होना बताया है। उनकी बहस है कि परिवादी सन्तोष कुमार घटनास्थल पर उपस्थित ही नहीं था। उसे सोच–समझकर मौके पर उपस्थित बताकर बाद में गवाह बनाया गया है। इस गवाह द्वारा अपनी <u>तहरीर रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 सोच–समझकर अपराध के प्रावधानों को देखकर</u> उसमें में भी कई तथ्यों बाबत उल्लेख नहीं किया गया है। गवाह बाबत यह बहस की गई है कि यदि यह

गवाह मौके पर होता तो पीड़ित के पिता होने के नाते वह अभियुक्तगण को पीड़ित का अपहरण करने से रोकने का पूरा–पूरा प्रयास करता, जितना एक पिता से बन पड़ता है, वह प्रयास अवश्य करता। प्रदर्श पी 3 नक्शे मौके बाबत यह बहस की गई है कि नक्शे मौके अनुसार पीड़ित प्रवेश द्वार के पास ही मोबाईल पर बातें करना बताया है तथा परिवादी पिता पीड़ित करीब 40 फीट दूर घर के भीतर चूल्हे के पास होना बताया है। ऐसे में अभियुक्तगण द्वारा पीड़ित को छोड़कर परिवादी के पास जाकर बोलचाल करने या उसे धमकी देने का तथ्य मानव प्रकृति के विरूद्ध होने और घटना इस प्रकार से होने का कथन किसी प्रकार से भी चलने योग्य नहीं है। पीड़ित स्वयं भी अपने बयानों में स्वीकार किया कि ना उसने भागने का प्रयास किया और ना ही स्वयं का बचाव लिया इससे भी कहानी सन्देहास्पद प्रतीत होती है। बचाव पक्ष की बहस है कि पीड़ित व उसके पिता, परिवादी के बयानों में पीड़ित को जबरदस्ती शराब पिलाए जाने का कोई उल्लेख नहीं है। पत्रावली में प्रदर्श पी 4 दस्तयाबी में अपहरणकर्ताओं के नाम नहीं अंकित किया गया है तथा दस्तायाबी स्थान पी .डब्ल्यू. 1, पी.डब्ल्यू. 2 तथा अनुसन्धान अधिकारी भिन्न–भिन्न बताते है। उस स्थान का नक्शा मौका नहीं बनाया गया है और ना ही अभियुक्तगण के नाम स्पष्ट किए गए है। इससे भी स्पष्ट नहीं होता है कि दस्तायाबी के समय मुलजिम कौन थे। बचाव पक्ष की बहस है कि प्रकरण में सुपुर्दगी थाने में आकर सोच–समझकर बनाई गई है। अगर पीड़ित को मुलजिमान के कब्जे से छुड़ाया गया होता तो उन्हें उसी समय गिरफ्तार कर लिया जाता जबकि प्रकरण में 02:50 एएम की दस्तयाबी के बाद गिरफ्तारी दूसरे दिन करीब 3:30 पीएम की गई है और इस दौरान अभियुक्तगण को कहीं पेश नहीं किए जाने के आधार पर भी अनुसन्धान दूषित होना बताया है। प्रकरण में तीनों मुलजिमान के कब्जे से फोर्च्युनर गाड़ी तथा गाड़ी में से घण जैसे हथियार की जब्ती बाबत साक्ष्य सन्देहास्पद होने की बहस की गई है। जब घटनास्थल से गाड़ी लेकर आए थे तो हथियार भी उसी समय जब्त कर लेते किन्तु हथियार बाद में गाड़ी से जब्त किया गया है। प्रदर्श पी 10 नक्शे मौके पर अनुसन्धान अधिकारी के पूर्व में जाना बताते हुए अनुसन्धान को दूषित होना बताया है। प्रकरण में अनुसन्धान में गाड़ी प्रेम द्वारा ले जाना बताया गया है परन्तु उस व्यक्ति को प्रकरण में गवाह ही नहीं बनाया गया है जब तक यह व्यक्ति नहीं बताता कि मुलजिमान उससे गाड़ी लेकर गए थे तब तक मुलजिमान को इस गाड़ी से जोड़ना उचित नहीं है। चिकित्सकीय साक्ष्य बाबत यह बहस की गई है कि प्रदर्श पी 14 एसएचओ भालेरी द्वारा लिखा गया है परन्तु प्रदर्श पी 15 में इससे सम्बन्धित कोई चोटों का उल्लेख नहीं है, सिर्फ चोटों बाबत खरोंचे आने का ही उल्लेख किया गया है। इस बाबत बचाव पक्ष ने परिवादी पी.डब्ल्यू. 1 की जिरह की ओर ध्यान आकर्षित करवाया है कि तीन–चार व्यक्तियों द्वारा जिस प्रकार से मारपीट किए जाने का उल्लेख किया गया है, ऐसी कोई चोट, नीलगू आदि के निशान पीड़ित के होने नहीं पाए गए हैं। बचाव पक्ष द्वारा यह बहस की गई है कि परिवादी ने अपनी जिरह में अभियुक्तगण द्वारा पीड़ित को मारपीट करते हुए ले जाने का उल्लेख किया गया है परन्तु चिकित्सकीय साक्ष्य से पीड़ित की चोटों की ताईद नहीं होती है, चोटों की अवधि भी अंकित नहीं है और चोट किस मुलजिम द्वारा कारित की गई है, यह भी पत्रावली पर नहीं आया है। चिकित्सक द्वारा जिरह में चोट स्वतः आने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया है। उनकी यह भी बहस है कि असल में मारपीट अभियुक्त के साथ हुई थी और इस बाबत पत्रावली पर प्रदर्श डी–1 से प्रदर्श डी–3 पेश हुए हैं। परिवादी ने अभियुक्तगण द्वारा धमकी देने की बात झूठी बताई है, यह कथन केवल परिवादी द्वारा ही किया गया है जबकि स्वयं पीड़ित या मौके पर मौजूद उसकी माता ने ऐसा कोई कथन नहीं किया गया है अपितु पीड़ित की माता तो न्यायालय में उपस्थित ही नहीं आई है। अभियुक्त कैलाश को परिवादी ने अनुसन्धान के दौरान पहली बार देखना बताता है यानि कथित घटना के समय पीड़ित का अपहरण करने वालों में कैलाश मौके पर उपस्थित ही नहीं था। परिवादी का कथन है कि उसने पुलिस बयान में अभियुक्तगण द्वारा प्रयुक्त किए गए हथियार का उल्लेख कर दिया था परन्तु प्रदर्श पी 1 में हथियार बाबत कोई अंकन नहीं है। बचाव की बहस है कि यह गवाह कौन –कौन से प्रयोग किए गए थे, इस बाबत झूठे बयान देता है। इस गवाह की प्रथम सूचना रिपोर्ट, परिवाद दर्ज

करने से पहले पीड़ित से बात ही नहीं हुई थी, इसलिए इसकी रिपोर्ट को भी सन्दिग्ध होना बताया है। पीड़ित बालक की जिरह की ओर ध्यान आकर्षित करवाया है जिससे यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्तगण बाबत इस गवाह ने अपनी जिरह में बताया कि वे उसके मामा को मारना चाहते थे, इसलिए प्रकरण में धारा 140(1) बीएनएस का अपराध किसी भी तरह से प्रमाणित नहीं होता है। इस गवाह ने भी अभियुक्त कैलाश को नहीं जानने का कथन किया है। बचाव पक्ष की बहस है कि असल में पीड़ित रोहिताश पूर्व से ही वेदप्रकाश को जानता था, जिसे उसने हथियार लाने के लिए अपने घर पर बुलाया था, उसी के साथ जाकर पीड़ित ने शराब भी पी है और अभियुक्तगण के साथ मारपीट भी की है क्योंकि जिस तरीके से अभियोजन द्वारा घटना बताई है यदि घटना उस तरीके से हुई होती तो पीड़ित का पिता उसे अवश्य ही रोकने का प्रयास करता। अभियुक्तगण को मात्र प्रभाव में आकर इस प्रकरण में लिप्त किया गया है। अनुसन्धान अधिकारी ने जिस रोजनामचे का उल्लेख अपने बयानों में किया है, वह पत्रावली में पेश नहीं करना स्वीकार किया है। उसके द्वारा धारा 105 बीएनएसएस की वीडियोग्राफी बाबत स्पष्ट कथन नहीं किए गए हैं और प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने से पूर्व ही वीडियोग्राफी करने का कथन किया है जबकि उससे पूर्व ना तो पर्चा बयान लिए गए थे और ना ही पूछताछ की गई थी। अभियुक्तगण बाबत लोकेशन की सूचना सन्दिग्ध होने से बचाव पक्ष ने एतराज जताया है। अगर उन्हें अभियुक्तगण बाबत सूचना मिल जाती तो वे सीधे मुलजिमान के पास जाते परन्तु प्रकरण में अनुसन्धान हेतु परिवादी के पास जाना भी प्रकरण को सन्दिग्ध बताता है। जबकि परिवादी ने इन्हें अभियुक्तगण के नाम भी नहीं बताए है। एसएचओ भानीपुरा को प्रकरण में लिप्त नहीं किए जाने के आधार पर भी अनुसन्धान त्रुटिपूर्ण होने की बहस की गई है, ना भानीपुरा से सम्बन्धित किसी भी अधिकारी के बयान करवाए गए है और ना ही भानीपुरा में दस्तायाबी सम्बन्धी नक्शा मौका बनाया गया है। अतः बचाव पक्ष ने अनुसन्धान त्रुटिपूर्ण होने के आधार पर तथा गवाहान के बयान सन्दिग्ध होने एवं अभियोजन की सारी कहानी को सन्दिग्ध ही नहीं, झूठी होने का तर्क प्रस्तुत करते हुए अभियुक्तगण को दोषमुक्त किए जाने का निवेदन किया गया।

(17) बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन कर उनसे मार्गदर्शन प्राप्त किया गया।

(18) अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि परिवादी **सन्तोष कुमार (पी.डब्ल्यू.–1)** स्वयं को घटना का प्रत्यक्षदर्शी बताता है किन्तु उसकी साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध अन्य साक्ष्यों एवं दस्तावेजों से मेल नहीं खाती, इसलिए उसकी साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इस सम्बन्ध में परिवादी सन्तोष कुमार (पी.डब्ल्यू.–1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक घटना को उसका पुत्र रोहिताश मकान के मुख्य द्वार के पास मोबाइल पर बात कर रहा था, उसी समय अभियुक्तगण फॉर्च्यूनर गाड़ी में आए, उसके पास पहुँचे, उसे जान से मारने की धमकी दी तथा उसके पुत्र को जबरन गाड़ी में बैठाकर ले गए। उसने यह भी कहा कि अभियुक्तगण के हाथों में लाठी, सरिया एवं अन्य हथियार थे। किन्तु जब उसकी साक्ष्य का अभिलेख पर उपलब्ध **प्रदर्श पी–3 नक्शा मौका** से परीक्षण करने पर यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि घटना के समय परिवादी घर के भीतर चूल्हे के पास स्थित था, जबकि पीड़ित रोहिताश मुख्य द्वार के निकट खड़ा होना अंकित है। उक्त नक्शा मौके पर परिवादी के हस्ताक्षर भी विद्यमान हैं तथा उसने जिरह में यह स्वीकार किया है कि नक्शा मौका उसकी उपस्थिति में तैयार हुआ था। ऐसी स्थिति में नक्शा मौके में अंकित स्थिति को बिना किसी ठोस कारण के अस्वीकार नहीं किया जा सकता। **इतना ही नहीं** परिवादी की जिरह से यह तथ्य भी सामने आया है कि उसने पहले कहा कि उसने शोर नहीं मचाया किन्तु तत्पश्चात उसने शोर मचाने का कथन किया। यह दोनों कथन परस्पर विपरीत हैं। यदि वास्तव में एक पिता के समक्ष उसके नाबालिग पुत्र को चार व्यक्ति बलपूर्वक उठाकर ले जा रहे हों तो सामान्यतः उससे तत्काल विरोध, सहायता के लिए पुकार अथवा अन्य लोगों को एकत्रित करने का प्रयास अपेक्षित होता है। यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति की प्रतिक्रिया एक समान

नहीं हो सकती तथापि परिवादी के कथनों में पाया गया यह विरोधाभास उसकी साक्ष्य की दृढ़ता को प्रभावित करता है। **इसके अतिरिक्त** परिवादी ने न्यायालय में यह कथन किया कि प्रत्येक अभियुक्त के हाथ में अलग–अलग हथियार थे किन्तु उसने जिरह में स्वीकार किया कि **प्रदर्श पी–1** में इस प्रकार का कोई विवरण अंकित नहीं है कि किस अभियुक्त के हाथ में कौन –सा हथियार था। यदि यह तथ्य वास्तव में घटना के समय उसकी दृष्टि में आया था तो उसका उल्लेख प्रथम अवसर पर किए गए लिखित प्रार्थना–पत्र अथवा प्रथम सूचना में होना स्वाभाविक था। न्यायालय में पहली बार इस प्रकार का विस्तृत विवरण दिया जाना उसके कथन में विस्तार का परिचायक प्रतीत होता है, जिसका प्रभाव उसकी साक्ष्य के मूल्यांकन पर पड़ता है।

(19) इसी प्रकार **वाहन स्वामी पाबूदान (पी.डब्ल्यू.–5)** की साक्ष्य का अवलोकन करने पर उसकी साक्ष्य भी अभियोजन के कथन को अपेक्षित समर्थन प्रदान नहीं करती है। इस गवाह ने मुख्य परीक्षा में फॉर्च्यूनर गाड़ी संख्या एचआर–70–सी–2731 का स्वयं को पंजीकृत स्वामी होना तथा अपने भाई प्रेम द्वारा उक्त गाड़ी मालकसर ले जाना और वहाँ से वेदप्रकाश द्वारा गाड़ी ले जाना बताया है। अभियोजन के प्रति पक्षद्रोही होने पर की गई प्रतिपरीक्षा में उसने प्रदर्श पी–12 शपथ–पत्र एवं प्रदर्श पी–13 सुपुर्दगीनामा पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए किन्तु पुलिस द्वारा उसके बयान लिये जाने से इन्कार करते हुए प्रदर्श पी–11 के कथनों का समर्थन नहीं किया तथा इस सुझाव का भी खण्डन किया कि उसका भाई प्रेम उक्त गाड़ी रणवीर के पास छोड़कर गया था अथवा घटना के दिन गाड़ी रणवीर के कब्जे में थी। अभियुक्तगण की ओर से हुई जिरह में उसने यह भी बताया कि उसके भाई प्रेम ने उसे बताया था कि वेदप्रकाश के साथ 15–16 वर्ष का एक लड़का था। ऐसी स्थिति में पी.डब्ल्यू.–5 की साक्ष्य से कथित वाहन का अभियुक्त रणवीर अथवा अन्य अभियुक्तगण के कब्जे में होना सन्देह से परे प्रमाणित नहीं होता है।

(20) **महत्वपूर्ण यह भी है कि** अनुसन्धान अधिकारी **जगदीश सिंह (पी.डब्ल्यू.–8)** ने अपनी जिरह में स्पष्ट स्वीकार किया है कि घटना के सम्बन्ध में प्राप्त प्रथम दूरभाष सूचना में किसी भी अभियुक्त का नाम नहीं बताया गया था और न ही वाहन का पंजीयन नम्बर बताया गया था। केवल इतना बताया गया था कि एक सफेद रंग की फॉर्च्यूनर गाड़ी में कुछ व्यक्ति बालक को लेकर गए हैं। अनुसन्धान अधिकारी ने यह भी स्वीकार किया कि उस समय **रोहिताश की माता** ने भी किसी अभियुक्त का नाम नहीं बताया था। यदि परिवादी घटना का प्रत्यक्षदर्शी था तथा अभियुक्तगण उसके परिचित थे तो प्रथम अवसर पर उनके नामों का उल्लेख न होना एक ऐसी परिस्थिति है, जिस पर न्यायालय की दृष्टि जाना स्वाभाविक है। अभिलेख के समग्र परीक्षण से यह भी स्पष्ट होता है कि परिवादी की साक्ष्य का प्रत्येक भाग असत्य नहीं कहा जा सकता किन्तु उपर्युक्त विरोधाभास, प्रथम सूचना में अभियुक्तों के नामों का अभाव, नक्शा मौके से उत्पन्न परिस्थितियाँ तथा न्यायालय में किए गए अतिरिक्त विवरण उसकी साक्ष्य को पूर्णतः निष्कलंक एवं निर्विवाद नहीं रहने देते। इसलिए केवल परिवादी की साक्ष्य के आधार पर अभियोजन के सम्पूर्ण घटनाक्रम को बिना अन्य पुष्टिकारक साक्ष्य के स्वीकार करना सावधानी की अपेक्षा करता है। अतः बचाव पक्ष द्वारा इस सम्बन्ध में उठाई गई आपत्ति पूर्णतः निराधार नहीं कही जा सकती और इस तथ्य का प्रभाव सम्पूर्ण साक्ष्य के सामूहिक मूल्यांकन के समय अवश्य विचारणीय रहेगा।

(21) इसी प्रकार अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क प्रस्तुत किया है कि अभियोजन का दूसरा महत्वपूर्ण साक्षी पीड़ित **रोहिताश (पी.डब्ल्यू.–2)** है किन्तु उसकी साक्ष्य भी पूर्णतः विश्वास योग्य नहीं है तथा उसके कथनों में ऐसे विरोधाभास एवं अस्वाभाविक परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण उस पर बिना स्वतन्त्र पुष्टिकरण के विश्वास नहीं किया जा सकता। इस सम्बन्ध में पीड़ित रोहिताश (पी.डब्ल्यू.–2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि घटना के समय वह अपने मकान के बाहर मोबाइल पर बात कर रहा था, तभी अभियुक्तगण फॉर्च्यूनर गाड़ी में आए, उसे जबरन गाड़ी में बैठाकर ले गए तथा रास्ते में उसके साथ मारपीट की। उसने यह भी कहा कि

अभियुक्तगण के हाथों में लाठी, सरिया एवं अन्य हथियार थे तथा उसे जान से मारने की धमकी दी गई। किन्तु जब उसकी जिरह का परीक्षण किया जाता है तो अनेक महत्वपूर्ण तथ्य सामने आते हैं, जो उसकी मुख्य परीक्षा के कथनों की दृढ़ता को प्रभावित करते हैं। **महत्वपूर्ण यह है कि** पीड़ित ने जिरह में स्वीकार किया है कि जब उसे उसके घर के बाहर से गाड़ी में बैठाया गया तब उस समय अभियुक्तों ने किसी भी हथियार से उस पर प्रहार नहीं किया। उसने यह भी स्वीकार किया कि उसके साथ बाद में केवल थप्पड़ एवं मुक्कों से मारपीट हुई। दूसरी ओर अभियोजन का सम्पूर्ण कथन इस आधार पर निर्मित है कि अभियुक्तगण लाठी, सरिया एवं अन्य हथियारों से लैस होकर आए थे। यदि वास्तव में अभियुक्तगण ऐसे हथियारों से सुसज्जित थे तथा उनका उद्देश्य गम्भीर आक्रमण करना था तो घटना के प्रारम्भिक चरण में उन हथियारों का कोई उपयोग न होना एक ऐसी परिस्थिति है, जिस पर न्यायालय की दृष्टि जाना स्वाभाविक है।

(22) इसके अतिरिक्त पीड़ित ने अपनी जिरह में यह भी स्वीकार किया कि उसे विभिन्न स्थानों पर ले जाया गया तथा वह कुछ समय तक अभियुक्तों के साथ रहा किन्तु उसने किसी भी स्थान पर किसी स्वतन्त्र व्यक्ति से सहायता प्राप्त करने का कोई प्रयास नहीं किया। यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति का व्यवहार एक समान नहीं होता तथा भय की स्थिति में व्यक्ति का आचरण सामान्य परिस्थितियों से भिन्न हो सकता है तथापि जब किसी व्यक्ति को अनेक स्थानों से ले जाया जाना बताया जाता है तब उसका किसी भी व्यक्ति को घटना की सूचना न देना अथवा सहायता के लिए पुकार न लगाना न्यायालय द्वारा विचारणीय परिस्थिति अवश्य है। अभियोजन द्वारा इस सम्बन्ध में कोई विशेष स्पष्टीकरण भी प्रस्तुत नहीं किया गया।**इतना ही नहीं** पीड़ित ने यह भी स्वीकार किया कि अभियुक्त **कैलाश** को वह घटना से पूर्व नहीं जानता था। दूसरी ओर परिवादी **सन्तोष कुमार (पी.डब्ल्यू.–1)** ने भी अपनी जिरह में स्वीकार किया है कि वह भी अभियुक्त कैलाश को पहले से नहीं जानता था। इस तथ्य का महत्व इसलिए और अधिक हो जाता है क्योंकि अनुसन्धान अधिकारी **जगदीश सिंह (पी.डब्ल्यू.–8)** ने भी स्वीकार किया है कि प्रथम दूरभाष सूचना में किसी भी अभियुक्त का नाम नहीं बताया गया था। यदि अभियुक्त कैलाश पूर्व परिचित नहीं था तथा उसका नाम प्रथम सूचना में भी नहीं आया तो बाद में उसकी पहचान किस प्रकार स्थापित हुई, इस सम्बन्ध में अभियोजन द्वारा अपेक्षित स्पष्ट एवं स्वतन्त्र साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। यह परिस्थिति बचाव पक्ष की उस दलील को बल प्रदान करती है कि अनुसन्धान के दौरान अभियुक्तों के नाम जोड़े जाने की सम्भावना से पूर्णतः इन्कार नहीं किया जा सकता। अभिलेख का समग्र परीक्षण करने पर यह भी परिलक्षित होता है कि पीड़ित की साक्ष्य का कुछ भाग परिवादी की साक्ष्य से मेल खाता है किन्तु दोनों के कथनों में भी प्रत्येक तथ्य पर पूर्ण समानता नहीं है। जहाँ परिवादी घटना के समय की परिस्थितियों का एक प्रकार से वर्णन करता है, वहीं पीड़ित के कथनों में कुछ भिन्नताएँ परिलक्षित होती हैं। यद्यपि प्रत्येक छोटी विसंगति अभियोजन को असत्य सिद्ध नहीं करती तथापि जब अभियोजन का सम्पूर्ण मामला मुख्यतः दो ही प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों पर आधारित हो तब उनके कथनों में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण असंगतियों का समुचित परीक्षण किया जाना आवश्यक हो जाता है। फलस्वरूप न्यायालय का मत है कि पीड़ित रोहिताश (पी.डब्ल्यू.–2) की साक्ष्य को पूर्णतः अस्वीकार नहीं किया जा सकता किन्तु उपर्युक्त विरोधाभासों, प्रथम सूचना की परिस्थितियों तथा स्वतन्त्र पुष्टिकरण के अभाव में उसकी साक्ष्य का मूल्यांकन अत्यधिक सावधानी के साथ किया जाना अपेक्षित है। इसलिए उसकी साक्ष्य को अन्य स्वतन्त्र एवं विश्वसनीय साक्ष्य से पुष्ट हुए बिना अकेले निर्णायक आधार मानना विधिसम्मत नहीं होगा।

(23) **दस्तयाबी, बरामदगी एवं गिरफ्तारी की प्रक्रिया के सम्बन्ध** में अभिलेख का सावधानीपूर्वक अवलोकन करने पर यह तथ्य सामने आता है कि अभियोजन द्वारा कथित दस्तयाबी को अभियुक्तगण के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण परिस्थितिजन्य साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तथापि **अनुसन्धान अधिकारी जगदीश सिंह (पी.डब्ल्यू.–8)** की जिरह का परीक्षण करने पर यह तथ्य

सामने आता है कि दस्तयाबी स्थल का कोई पृथक नक्शा तैयार नहीं किया गया। दस्तयाबी फर्द प्रदर्श पी–4 के अवलोकन से यह भी परिलक्षित होता है कि बालक रोहिताश की दस्तयाबी भानीपुरा क्षेत्र से करना बताया गया है, जबकि उक्त फर्द पुलिस थाना भालेरी में बनाया जाना अंकित है तथा इसमें अपहरणकर्ताओं के नाम भी अंकित नहीं हैं। उक्त परिस्थितियों के आधार पर भी बचाव पक्ष द्वारा अभियोजन कहानी को सन्दिग्ध होना बताया गया है। अनुसन्धान अधिकारी ने यह भी स्वीकार किया है कि दस्तयाबी के समय स्वतन्त्र व्यक्तियों की उपस्थिति एवं उनकी भूमिका के सम्बन्ध में ऐसा कोई ठोस एवं विश्वसनीय साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है, जिससे यह पूर्णतः सुनिश्चित किया जा सके कि सम्पूर्ण कार्यवाही निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से सम्पन्न हुई थी। बचाव पक्ष ने विशेष रूप से यह तर्क प्रस्तुत किया कि यदि वास्तव में दस्तयाबी उसी स्थान पर हुई थी तो उस स्थान का पृथक नक्शा तैयार करने अथवा उसकी स्थिति को अन्य वैज्ञानिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा सुरक्षित करने में कोई कठिनाई नहीं थी। यद्यपि प्रत्येक अनुसन्धानात्मक त्रुटि अभियोजन को स्वतः असफल नहीं बनाती किन्तु जब अभियोजन किसी दस्तयाबी पर विशेष बल देता है तब उस कार्यवाही का सन्देह से परे प्रमाणित होना अपेक्षित होता है। उक्त परिस्थितियों में दस्तयाबी की साक्ष्य का मूल्यांकन भी सावधानीपूर्वक किया जाना आवश्यक है। अतः उपर्युक्त परिस्थितियों के आलोक में दस्तयाबी की कार्यवाही का मूल्यांकन अत्यन्त सावधानी से किया जाना अपेक्षित है तथा केवल इस आधार पर अभियुक्तगण की संलिप्तता को स्वतः सिद्ध नहीं माना जा सकता।

(24) अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने कथित **फॉर्च्यूनर वाहन की बरामदगी** को भी अविश्वसनीय बताया है। अभिलेख से स्पष्ट है कि अभियोजन ने उक्त वाहन को घटना में प्रयुक्त वाहन बताते हुए उसे अभियुक्तगण से जोड़ने का प्रयास किया है किन्तु वाहन के सम्बन्ध में जिन परिस्थितियों पर अभियोजन निर्भर है, उनकी प्रत्येक कड़ी स्वतन्त्र एवं विश्वसनीय साक्ष्य से पुष्ट होती हुई प्रतीत नहीं होती। विशेष रूप से बचाव पक्ष ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि वाहन का सम्बन्ध स्थापित करने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति **प्रेम** को अभियोजन द्वारा साक्षी के रूप में प्रस्तुत ही नहीं किया गया। यदि वास्तव में उसी के माध्यम से वाहन अभियुक्तों तक पहुँचा अथवा उसके सम्बन्ध में महत्वपूर्ण तथ्य ज्ञात हुए थे तो उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना अभियोजन का दायित्व था। उसके न्यायालय में प्रस्तुत न किए जाने से बचाव पक्ष को उस साक्ष्य की सत्यता का परीक्षण करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। यह एक ऐसी कमी है जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती।

(25) जहाँ तक पीड़ित रोहिताश का **मोबाइल छीनने अथवा चोरी किए जाने** के आरोप का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन करने पर अभियोजन द्वारा ऐसा कोई स्पष्ट एवं ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना नहीं पाया जाता है, जिससे यह सन्देह से परे प्रमाणित हो कि अभियुक्तगण में से किस अभियुक्त द्वारा पीड़ित का मोबाइल छीना अथवा चोरी किया गया। पीड़ित रोहिताश (पी.डब्ल्यू.–2) ने भी अपनी साक्ष्य में किसी विशिष्ट अभियुक्त द्वारा उसका मोबाइल छीनने अथवा चोरी करने का स्पष्ट कथन नहीं किया है। इतना ही नहीं, अनुसन्धान के दौरान अभियुक्तगण के कब्जे से पीड़ित के कथित मोबाइल की कोई बरामदगी अथवा जब्ती होना भी अभिलेख से प्रमाणित नहीं होता है और न ही मोबाइल के स्वामित्व अथवा उसकी पहचान से सम्बन्धित कोई अन्य ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में केवल अभियोजन कहानी में मोबाइल छीनने अथवा चोरी किए जाने का आरोप होना अपने आप में उक्त तथ्य को सन्देह से परे प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अतः मोबाइल छीनने अथवा चोरी किए जाने के सम्बन्ध में अभियोजन साक्ष्य में विद्यमान उक्त अभाव का लाभ अभियुक्तगण को दिया जाना न्यायोचित है।

(26) इसी क्रम में **वाहन स्वामी पाबूदान (पी.डब्ल्यू.–5)** की साक्ष्य का परीक्षण करने पर यह भी स्पष्ट होता है कि उसने अभियोजन के कथन का पूर्ण समर्थन नहीं किया तथा उसे पक्षद्रोही घोषित करना

पड़ा। यह विधि का स्थापित सिद्धान्त है कि पक्षद्रोही साक्षी की सम्पूर्ण साक्ष्य स्वतः अस्वीकार्य नहीं हो जाती किन्तु उसके उस भाग पर ही विश्वास किया जा सकता है जो अन्य स्वतन्त्र एवं विश्वसनीय साक्ष्य से पुष्ट हो। महत्वपूर्ण रूप से अभियुक्तगण की ओर से हुई जिरह में इस गवाह ने यह कथन किया है कि उसके भाई प्रेम ने उसे बताया था कि वेदप्रकाश के साथ 15–16 वर्ष का एक लड़का था, जिसका नाम उसे ज्ञात नहीं है। उक्त कथन बचाव पक्ष के इस तर्क को बल प्रदान करता है कि पीड़ित रोहिताश पूर्व से वेदप्रकाश को जानता था तथा उसके साथ गया था। वर्तमान प्रकरण में वाहन एवं अभियुक्तगण के मध्य सम्बन्ध स्थापित करने वाली कड़ी मुख्य रूप से परिस्थितिजन्य है। ऐसी स्थिति में वाहन स्वामी द्वारा अभियोजन का पूर्ण समर्थन न किया जाना अभियोजन की इस कड़ी को अपेक्षित दृढ़ता प्रदान नहीं करता। इसके अतिरिक्त अभियोजन द्वारा इस कमी की पूर्ति के लिए कोई अन्य स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे उक्त परिस्थितिजन्य कड़ी निर्विवाद रूप से सिद्ध हो सके। अतः पी.डब्ल्यू.–5 की उक्त साक्ष्य से अभियोजन की कहानी पुष्ट होने के स्थान पर बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत इस तर्क को बल मिलता है कि पीड़ित रोहिताश का वेदप्रकाश के साथ जाना स्वैच्छिक हो सकता था।

(27) **कथित झूमर अथवा घण की बरामदगी** का जहाँ तक प्रश्न है, बचाव पक्ष का तर्क है कि अभियोजन यह स्थापित करने में असफल रहा है कि उक्त वस्तु का घटना से प्रत्यक्ष सम्बन्ध किस प्रकार स्थापित होता है। इस सम्बन्ध में **अनुसन्धान अधिकारी (पी.डब्ल्यू.–8)** की जिरह का अवलोकन करने पर यह तथ्य सामने आता है कि उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि उक्त वस्तु से किसी प्रकार की चोट कारित होने का कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य अनुसन्धान के दौरान प्राप्त नहीं हुआ। दूसरी ओर **डॉ. राजीव (पी.डब्ल्यू.–6)** की चिकित्सकीय साक्ष्य भी ऐसी किसी चोट का समर्थन नहीं करती, जिसे उक्त वस्तु से उत्पन्न माना जा सके। यदि अभियोजन का कथन है कि उक्त वस्तु अपराध में प्रयुक्त हुई तो उसका चिकित्सकीय अथवा अन्य प्रत्यक्ष साक्ष्य से समर्थन अपेक्षित था। इस अभाव में केवल बरामदगी का तथ्य अपने आप में अभियुक्तों की संलिप्तता सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं माना जा सकता। अतः बचाव पक्ष द्वारा इस सम्बन्ध में उठाई गई आपत्ति भी विचारणीय प्रतीत होती है।

(28) अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने अनुसन्धान की निष्पक्षता पर गम्भीर प्रश्न उठाते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया है कि विवेचना के दौरान उपलब्ध महत्वपूर्ण साक्ष्यों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके कारण अभियोजन का घटनाक्रम सन्देह से परे सिद्ध नहीं होता। इस सम्बन्ध में **अनुसन्धान अधिकारी जगदीश सिंह (पी.डब्ल्यू.–8)** की जिरह का परीक्षण करने पर यह तथ्य सामने आता है कि घटना के सम्बन्ध में यदि इलेक्ट्रॉनिक अथवा वैज्ञानिक साक्ष्य उपलब्ध थे तो उन्हें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की दिशा में अपेक्षित सावधानी नहीं बरती गई। बचाव पक्ष ने विशेष रूप से यह तर्क रखा कि वर्तमान समय में अधिकांश अनुसन्धान वैज्ञानिक एवं तकनीकी साधनों की सहायता से किए जाते हैं, जिनसे घटना के समय अभियुक्तों एवं पीड़ित की उपस्थिति अथवा उनकी गतिविधियों के सम्बन्ध में अधिक स्पष्टता प्राप्त की जा सकती थी। यदि ऐसे साक्ष्य उपलब्ध होने के बावजूद उन्हें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया अथवा उनके सम्बन्ध में कोई सन्तोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया तो यह अनुसन्धान की पूर्णता पर प्रश्नचिह्न अवश्य उत्पन्न करता है। यद्यपि प्रत्येक अनुसन्धानात्मक त्रुटि के कारण अभियोजन का सम्पूर्ण मामला अस्वीकार नहीं किया जा सकता किन्तु जब ऐसी त्रुटियाँ अनेक हों तथा वे अभियोजन की मुख्य कहानी को प्रभावित करती हों तब उनका प्रभाव साक्ष्य के मूल्यांकन में अवश्य पड़ता है।

(29) **महत्वपूर्ण यह भी है कि** बचाव पक्ष ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि घटना से सम्बन्धित **रोजनामचा प्रविष्टियाँ** न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई। रोजनामचा पुलिस की दैनिक कार्यवाही का महत्वपूर्ण अभिलेख होता है, जिससे यह स्पष्ट हो सकता है कि किस समय कौन–सी सूचना प्राप्त हुई, किस अधिकारी ने क्या कार्यवाही की तथा अनुसन्धान की विभिन्न अवस्थाओं में क्या–क्या

कदम उठाए गए। यदि अभियोजन का सम्पूर्ण घटनाक्रम पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही पर आधारित हो तो ऐसे अभिलेखों का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। वर्तमान प्रकरण में रोजनामचा की मूल अथवा प्रमाणित प्रविष्टियाँ प्रस्तुत न किए जाने के कारण बचाव पक्ष द्वारा उठाए गए सन्देह का पूर्ण निराकरण नहीं हो सका। न्यायालय का मत है कि यदि ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किए जाते तो अभियोजन की कहानी को अधिक सुदृढ़ आधार प्राप्त हो सकता था।

(30) **धारा 105 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** के अन्तर्गत की गई कार्यवाही की **वीडियोग्राफी** के सम्बन्ध में यद्यपि अनुसन्धान अधिकारी ने ऐसी कार्यवाही का उल्लेख किया है किन्तु उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई। **पी.डब्ल्यू.–8** की जिरह से भी यह तथ्य परिलक्षित होता है कि उक्त इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को साक्ष्य के रूप में प्रदर्शित नहीं किया गया। यदि वास्तव में कार्यवाही की वीडियोग्राफी उपलब्ध थी तो उसका न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अभियोजन के लिए अत्यंत लाभप्रद हो सकता था। ऐसी स्थिति में उसका प्रस्तुत न किया जाना बचाव पक्ष को यह तर्क प्रस्तुत करने का अवसर देता है कि उपलब्ध सर्वोत्तम साक्ष्य न्यायालय से दूर रखा गया। यद्यपि केवल इस आधार पर अभियोजन की सम्पूर्ण कहानी को अस्वीकार नहीं किया जा सकता तथापि यह अनुसन्धान की गुणवत्ता का परीक्षण करते समय एक महत्वपूर्ण परिस्थिति अवश्य है। **इसके अतिरिक्त** बचाव पक्ष ने यह भी इंगित किया कि अनुसन्धान के दौरान कार्यवाही करने वाले कुछ महत्वपूर्ण पुलिस अधिकारियों, विशेष रूप से सम्बन्धित **थाना प्रभारी** एवं अन्य पुलिसकर्मियों के कथन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए। अभिलेख से स्पष्ट है कि घटना के पश्चात अनेक पुलिस अधिकारी विभिन्न चरणों में अनुसन्धान से जुड़े रहे किन्तु उन सभी का साक्ष्य न्यायालय के समक्ष उपलब्ध नहीं कराया गया। यदि किसी अधिकारी ने अनुसन्धान के किसी महत्वपूर्ण भाग में कार्यवाही की थी तो उसके कथन से अनुसन्धान की श्रृंखला अधिक स्पष्ट हो सकती थी। ऐसी स्थिति में न्यायालय के समक्ष उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर ही अनुसन्धान का मूल्यांकन करना पड़ता है तथा जो रिक्त स्थान शेष रह जाते हैं, उन्हें अनुमान अथवा कल्पना के आधार पर नहीं भरा जा सकता।

(31) बचाव पक्ष का यह तर्क कि अभियोजन के अनुसार कथित दस्तयाबी रात्रि लगभग 02:50 बजे होना दर्शाई गई है, जबकि अभियुक्तों की विधिवत गिरफ्तारी अगले दिन लगभग 03:30 बजे अंकित की गई है। इस आधार पर यह तर्क दिया गया कि उक्त अवधि के सम्बन्ध में अभियोजन द्वारा सन्तोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया। इस सम्बन्ध में **पी.डब्ल्यू.–8** की जिरह का अवलोकन किया गया। यद्यपि गिरफ्तारी एवं अन्य कार्यवाहियों के समय में उक्त अन्तर परिलक्षित होता है तथापि मात्र इसी आधार पर सम्पूर्ण गिरफ्तारी अथवा बरामदगी की कार्यवाही को अविश्वसनीय नहीं ठहराया जा सकता। अभिलेख पर ऐसा कोई ठोस एवं विश्वसनीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि उक्त अन्तराल का लाभ उठाकर अभियोजन द्वारा किसी प्रकार की अवैधानिक अथवा मनगढ़ंत कार्यवाही की गई। यह विधि का स्थापित सिद्धान्त है कि अनुसन्धान में पाई जाने वाली प्रत्येक त्रुटि अथवा प्रक्रियात्मक अनियमितता अभियोजन के सम्पूर्ण मामले को स्वतः अस्वीकार्य नहीं बना देती जब तक कि उससे अभियुक्त को वास्तविक पूर्वाग्रह (prejudice) पहुँचना अथवा अभियोजन की मूल कहानी अविश्वसनीय होना सिद्ध न हो। वर्तमान प्रकरण में बचाव पक्ष ऐसी कोई ठोस सामग्री न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने में सफल नहीं हुआ है, जिससे यह सिद्ध हो सके कि उक्त समयाअन्तराल के कारण अभियोजन की सम्पूर्ण कार्यवाही सन्देहास्पद हो जाती है। अतः बचाव पक्ष का यह तर्क स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है और अस्वीकार किया जाता है।

(32) इस प्रकार समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का समग्र मूल्यांकन करने पर अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का प्रत्येक भाग समान रूप से सुदृढ़ एवं निर्विवाद नहीं है। परिवादी **सन्तोष कुमार (पी.डब्ल्यू.–1)** एवं पीड़ित **रोहिताश (पी.डब्ल्यू.–2)** की साक्ष्य का परीक्षण करने पर जहाँ एक

ओर घटना के सम्बन्ध में उनके कथनों में कुछ समानता परिलक्षित होती है, वहीं दूसरी ओर जिरह के दौरान अनेक महत्वपूर्ण तथ्यों पर विरोधाभास, विस्तार एवं सुधार भी सामने आते हैं। इन विरोधाभासों को पृथक–पृथक देखने पर भले ही वे अत्यधिक महत्वपूर्ण न प्रतीत हों किन्तु जब उनका परीक्षण **प्रदर्श पी–1, प्रदर्श पी–3, प्रदर्श पी–4, प्रदर्श पी–15** तथा **अनुसन्धान अधिकारी जगदीश सिंह (पी.डब्ल्यू.–8)** की स्वीकारोक्तियों के साथ किया जाता है तब अभियोजन की सम्पूर्ण कहानी का प्रत्येक भाग समान रूप से सन्देह से परे सिद्ध होता हुआ प्रतीत नहीं होता। न्यायालय का मत है कि यदि अभियोजन की कहानी का आधार मुख्यतः दो प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों पर ही टिका हो तो उनकी साक्ष्य का प्रत्येक महत्वपूर्ण भाग अन्य विश्वसनीय साक्ष्य से पुष्ट होना अपेक्षित होता है।

(33) जहाँ तक अभियोजन द्वारा प्रस्तुत **परिस्थितिजन्य साक्ष्य** का प्रश्न है, इस सम्बन्ध कथित फॉर्च्यूनर वाहन की बरामदगी, झूमर अथवा अन्य वस्तुओं की बरामदगी तथा अभियुक्तों के साथ उनका सम्बन्ध स्थापित करने वाली परिस्थितियाँ भी स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष साक्ष्य से उसी दृढ़ता के साथ प्रमाणित नहीं हुई हैं, जैसी कि एक गम्भीर आपराधिक अभियोग में अपेक्षित होती है। **वाहन स्वामी पाबूदान (पी.डब्ल्यू.–5)** द्वारा अभियोजन का पूर्ण समर्थन न किया जाना, महत्वपूर्ण व्यक्ति प्रेम को अभियोजन द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत न करना, दस्तयाबी स्थल का पृथक नक्शा तैयार न किया जाना तथा बरामदगी की प्रक्रिया के सम्बन्ध में उठे सन्देह अभियोजन की परिस्थितिजन्य श्रृंखला को पूर्णतः निर्विवाद नहीं रहने देते। जब अभियोजन परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर निर्भर करता है तब प्रत्येक परिस्थिति का निर्विवाद रूप से सिद्ध होना तथा उन परिस्थितियों की श्रृंखला का केवल अभियुक्त के अपराध की ओर ही संकेत करना आवश्यक होता है। यदि उस श्रृंखला में कोई महत्वपूर्ण कड़ी सन्देहास्पद रह जाती है तो उसका लाभ अभियुक्त को प्राप्त होता है। **महत्वपूर्ण यह भी है कि** अनुसन्धान के सम्बन्ध में बचाव पक्ष द्वारा जिन त्रुटियों की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया गया, उनमें से अनेक तथ्यों का उल्लेख स्वयं **पी.डब्ल्यू.–8** की जिरह में परिलक्षित होता है। रोजनामचा प्रविष्टियों का अभाव, साइबर साक्ष्य का अपेक्षित रूप से प्रमाणित न होना, धारा 105 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत की गई कार्यवाही की वीडियोग्राफी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत न किया जाना, महत्वपूर्ण पुलिस अधिकारियों एवं अन्य साक्षियों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत न करना तथा अनुसन्धान की विभिन्न अवस्थाओं में उत्पन्न विसंगतियों का सन्तोषजनक स्पष्टीकरण न मिलना, ये सभी ऐसी परिस्थितियाँ हैं जिनका प्रभाव अभियोजन साक्ष्य के मूल्यांकन पर स्वाभाविक रूप से पड़ता है। इसके अतिरिक्त अभिलेख पर अभियुक्तगण के चोट प्रतिवेदन प्रदर्श डी–1, प्रदर्श डी–2 एवं प्रदर्श डी–3 भी उपलब्ध हैं, जिनसे अभियुक्तगण के शरीर पर चोटें होना परिलक्षित होता है किन्तु अभियोजन द्वारा इन चोटों के सम्बन्ध में कोई सन्तोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। जब अभियोजन की कहानी के अनुसार मारपीट अपहृत बालक रोहिताश के साथ की गई थी, तब अभियुक्तगण के शरीर पर पाई गई चोटें कैसे, किन परिस्थितियों में तथा किस प्रकार कारित हुई, इस सम्बन्ध में पत्रावली पर कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं आया है। अभियुक्तगण की इन चोटों का अस्पष्टीकृत रह जाना भी अभियोजन द्वारा प्रस्तुत घटनाक्रम की सत्यता का मूल्यांकन करते समय एक विचारणीय परिस्थिति है। यद्यपि यह सही है कि अनुसन्धान में हुई प्रत्येक त्रुटि के कारण अभियोजन का मामला स्वतः असफल नहीं हो जाता किन्तु यदि ऐसी त्रुटियाँ घटना के महत्वपूर्ण तथ्यों से सम्बन्धित हों तो न्यायालय उन्हें नजरअन्दाज नहीं कर सकता।

(34) जहाँ तक अभियुक्तगण के विरुद्ध आपराधिक षड्यन्त्र, गृह–अतिचार एवं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम के अन्तर्गत बालक के अपहरण से सम्बन्धित आरोपों का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में ऊपर किए गए विस्तृत विवेचन से स्वयं पीड़ित रोहिताश का अभियुक्तगण द्वारा उसके घर से बलपूर्वक अपहरण किया जाना ही सन्देह से परे प्रमाणित होना नहीं पाया गया है। ऐसी

स्थिति में उसी कथित अपहरण की घटना के आधार पर अभियुक्तगण के मध्य आपराधिक षड्यन्त्र होना, अपहरण के उद्देश्य से परिवादी के आवास में आपराधिक गृह–अतिचार करना तथा नाबालिग बालक के अपहरण से सम्बन्धित अपराध कारित करना भी सन्देह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता। अतः उक्त आरोपों के सम्बन्ध में भी अभियोजन अभियुक्तगण के विरुद्ध आवश्यक विधिक तत्वों को सन्देह से परे प्रमाणित करने में सफल होना नहीं पाया जाता है।

(35) परिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त **Munshi Prasad & Ors. v. State of Bihar, 2002(1) R.Cr.D. 144 (SC)** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि मात्र इस आधार पर कि कोई साक्षी पीड़ित अथवा परिवादी का सम्बन्धी है, उसकी साक्ष्य को अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता, यदि उसकी साक्ष्य स्वाभाविक, विश्वसनीय एवं अन्य साक्ष्यों से पुष्ट हो। किन्तु वर्तमान प्रकरण में परिवादी एवं पीड़ित की साक्ष्य का मूल्यांकन करने पर उनके कथनों में महत्वपूर्ण विरोधाभास , सुधार एवं अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य से असंगतियाँ परिलक्षित हुई हैं। अतः वर्तमान प्रकरण में सम्बन्धी साक्षी होने के कारण नहीं, बल्कि उनकी साक्ष्य में विद्यमान महत्वपूर्ण विसंगतियों के कारण उनकी साक्ष्य पर संदेह उत्पन्न हुआ है। फलतः उक्त निर्णय के सिद्धान्त वर्तमान प्रकरण के तथ्यों पर लागू नहीं होते।

(36) परिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त **P. Dineshan & Ors. v. State of Kerala, 2025(1) Crimes 197 (SC)** के मामले में यह प्रतिपादित किया गया है कि मात्र दोषपूर्ण अनुसन्धान के आधार पर अभियोजन के मामले को अस्वीकार नहीं किया जा सकता, यदि अन्य विश्वसनीय साक्ष्य अभियोजन के कथन की पुष्टि करते हों। किन्तु वर्तमान प्रकरण में केवल अनुसन्धान की त्रुटियाँ ही नहीं, बल्कि प्रत्यक्षदर्शी गवाहों की साक्ष्य, दस्तावेजी साक्ष्य, दस्तयाबी, बरामदगी एवं अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्यों में भी महत्वपूर्ण विसंगतियाँ पाई गई हैं। अतः यह ऐसा प्रकरण नहीं है जहाँ केवल अनुसन्धान की त्रुटियाँ विचारणीय हों। फलस्वरूप उक्त निर्णय वर्तमान प्रकरण के तथ्यों पर लागू नहीं होता।

(37) परिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त **Shyamal Ghosh v. State of West Bengal, 2012(3) Crimes 97 (SC)** का मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य के समग्र मूल्यांकन से सम्बन्धित है, जिसमें परिस्थितियों की श्रृंखला पूर्ण एवं निर्विवाद रूप से अभियुक्त के अपराध की ओर संकेत करती हो। वर्तमान प्रकरण में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत परिस्थितिजन्य साक्ष्य की प्रत्येक कड़ी सन्देह से परे प्रमाणित नहीं हो सकी है तथा परिस्थितियों की श्रृंखला भी पूर्ण एवं अखण्ड रूप से स्थापित नहीं हुई है। अतः उक्त निर्णय के सिद्धान्त वर्तमान प्रकरण में अभियोजन के पक्ष में सहायक नहीं हैं।

(38) परिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त **State of Uttar Pradesh v. Krishna Master & Ors., 2010 (Suppl.) Cr.L.R. (SC) 482** के मामले में यह प्रतिपादित किया गया है कि यदि सम्बन्धी साक्षियों की साक्ष्य विश्वसनीय, स्वाभाविक एवं विश्वास योग्य हो तो मात्र उनके सम्बन्धी होने के आधार पर उसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। किन्तु वर्तमान प्रकरण में न्यायालय द्वारा सम्बन्धी होने के आधार पर नहीं, बल्कि उनकी साक्ष्य में विद्यमान महत्वपूर्ण विरोधाभासों, सुधारों एवं अन्य साक्ष्यों से असंगतियों के कारण उनकी साक्ष्य को पूर्णतः विश्वसनीय नहीं पाया गया है। अतः उक्त निर्णय के तथ्य वर्तमान प्रकरण से भिन्न होने के कारण लागू नहीं होते।

(39) परिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त **Abdul Sayeed v. State of Madhya Pradesh, 2010(4) Crimes 86 (SC)** के मामले में घायल साक्षी की साक्ष्य को सामान्यतः उच्च प्रमाणिक महत्व प्रदान किया गया है, यदि उसकी साक्ष्य विश्वसनीय एवं अन्य साक्ष्यों से पुष्ट हो। वर्तमान प्रकरण में यद्यपि पीड़ित के शरीर पर साधारण चोटें पाई गई हैं, तथापि उसकी साक्ष्य में महत्वपूर्ण विरोधाभास, चिकित्सकीय साक्ष्य से पूर्ण सामंजस्य का अभाव तथा अन्य मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों से असंगतियाँ परिलक्षित हुई हैं। इसके अतिरिक्त अभियुक्तगण के शरीर पर पाई गई चोटों का भी अभियोजन द्वारा कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी परिस्थितियों में केवल पीड़ित के घायल होने मात्र से उसकी सम्पूर्ण साक्ष्य को निर्विवाद एवं पूर्णतः विश्वसनीय नहीं माना जा सकता। अतः उक्त निर्णय के सिद्धान्त भी वर्तमान प्रकरण के तथ्यों पर लागू नहीं होते।

(40) इस प्रकार अभिलेख पर उपलब्ध समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य, गवाहान के मुख्य परीक्षण एवं जिरह, चिकित्सकीय साक्ष्य, दस्तयाबी एवं बरामदगी की कार्यवाही तथा अनुसन्धान अधिकारी की साक्ष्य का समग्र मूल्यांकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य में उपर्युक्तानुसार महत्वपूर्ण विरोधाभास, विसंगतियाँ एवं ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनका सन्तोषजनक स्पष्टीकरण अभियोजन द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। दस्तयाबी, वाहन एवं अन्य वस्तुओं की बरामदगी और अनुसन्धान से सम्बन्धित उपर्युक्त परिस्थितियाँ भी अभियोजन कहानी को सन्देह से परे स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं पाई जाती हैं। उपर्युक्त समस्त परिस्थितियों का समग्र रूप से मूल्यांकन करने पर अभियोजन अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित अपराधों को सन्देह से परे प्रमाणित करने में सफल होना नहीं पाया जाता है।

(41) अतः विचारणीय प्रश्न संख्या एक अभियुक्तगण के पक्ष में एवं अभियोजन के विरुद्ध तय किया जाता है।

विचारणीय प्रश्न संख्या – दो

(42) विचारणीय प्रश्न संख्या एक में किए गए विवेचन एवं विश्लेषण से अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 140(1), 351(3), 307, 115(2), 61(2), 329(3) सपठित 3(5) भारतीय न्याय संहिता व धारा 84 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम के आरोप सन्देह से परे प्रमाणित नहीं होने से अभियुक्तगण दोषमुक्ति के पात्र हैं।

–: आ दे श :–

(43) अतः अभियुक्तगण (1) रणवीर पुत्र तेजाराम उम्र 26 वर्ष निवासी मालकसर तहसील भानीपुरा पीएस भानीपुरा जिला चूरू, (2) चेतनराम उर्फ कालू पुत्र हंसराज उम्र 24 निवासी मालकसर तहसील भानीपुरा पीएस भानीपुरा जिला चूरू व (3) कैलाश कुमार पुत्र मांगीलाल उम्र 25 वर्ष निवासी रंगाईसर तहसील सरदारशहर पीएस सरदारशहर जिला चूरू को धारा 140(1), 351(3), 307, 115(2), 61(2), 329(3) सपठित 3(5) भारतीय न्याय संहिता व धारा 84 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

(44) प्रकरण में जब्तशुदा वजह सबूत बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार नष्ट कर दिये जावें। अभियुक्तगण इस मामले में नियमित जमानत पर है जिनके न्यायालय में उपस्थिति बाबत प्रस्तुत जमानत मुचलकें निरस्त किए जाते हैं। अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत जमानत मुचलकें धारा 437 ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत आगामी छः माह तक अपीलीय न्यायालय में उपस्थिति हेतु प्रभावी रहेंगें।

(सोनिका पुरोहित)
सत्र न्यायाधीश, चूरू (राजस्थान)

(45) निर्णय व आदेश आज दिनांक 31 जुलाई, 2026 को विवृत न्यायालय में सुनाया गया।

(सोनिका पुरोहित)
सत्र न्यायाधीश, चूरू (राजस्थान)

MOHIT SHARMA
"I attest to the accuracy and authenticity of this document."
2026.08.01
16:55:13 +0530